-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2020 में थाना बबेरु क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व सास को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के कारावास व 03-03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण–पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2020 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व सास को **10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने** से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पारा के रहने वाले ओमप्रकाश ने दिनांक 29.07.2020 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 01.05.2018 को थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम उमरी के रहने वाले अंकित उर्फ पप्पू से हुई थी, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों द्वारा उनकी पुत्री की दिनांक 12.07.2020 को फांसी लगाकर जान से मार दिया गया। इस सम्बन्ध में **थाना बबेरु में मु0अ0सं0 161/20 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन **क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री आनन्द कुमार पाण्डेय** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 18.10.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व श्री उमाशंकर पाल** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी भानुप्रताप तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से **आरोपी पति व सास** को **मा0 सत्र न्यायालय बांदा** द्वारा **10-10 वर्ष के कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **अंकित उर्फ पप्पू पुत्र राकेश पाण्डेय नि0 उमरी थाना बबेरु जनपद बांदा।**
2. **रेनू देवी पत्नी राकेश पाण्डेय नि0 उमरी थाना बबेरु जनपद बांदा।**